13.5.19	पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उपस्थित है। संक्षेप में पुनः सुना गया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, प्रार्थना पत्र के तथ्य, एवं वांछित अनुतोषादि, अप्रार्थी के अभाव एवं प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के तहत वांछित अनु-

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	लोष के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेज पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के सुसंगत प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचार किया गया।	
	प्रार्थी द्वारा ग्राम मानपुरा की कृषि साबिक खसरा नम्बर 3, व 4 की पूर्ववत बहाली सहित हाल राजस्व नक्शे में पूर्व की भाँति अंकन करने का अनुतोष चाहा है।	
	अपने कथनों के समर्थन में प्रार्थी ने जो दस्तावेज पेश किये हैं, उनमें साबिक एवं हाल नकल नक्शा, साबिक एवं हाल नकल जमाबंदी, फर्द मिलान पर प्रकरण के गुणावगुण पर सम्यक मनन किया। प्रकरण में प्रार्थी के नाम पर साबिक ख० नं० 3 व 4 मी. वाके माल मौजा मानपुरा दर्ज था, जिसके हाल खसरा नं० 14 व 15 बनाया जाना हाल फर्द मिलान प्रमाणित है। उक्त दोनों ख० नं० हाल रिकार्ड में प्रार्थी के नाम पर दर्ज है। साबिक खसरा नं० 3 के राजस्व नक्शे में किसी प्रकार की कोई तामीम होना प्रमाणित नहीं है। इस कारण यह नहीं कहा जा सकता, कि बन्दोबस्त से पूर्व प्रार्थी के हाल ख० नं० नक्शे में किस स्थान पर थी।	
	प्रकरण के हितबद्ध पक्षकार जो कि अप्रार्थीगण है, के द्वारा प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया है। अर्थात धारा 136 के प्रावधानों का एक महत्वपूर्ण तथ्य कि हितबद्ध पक्षकार एकराय नहीं है पर भी प्रकरण में गौर किया जाना है।	13/5/14

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	महकमा जंगलात एवं पेशकार सरकार के जवाब में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के अनुतोष को स्पष्ट नकार दिया गया है। प्रकरण पर सम्यक विचारोपरान्त हम यह पाते हैं, कि प्रार्थी के हितों के विपरीत महकमा बन्दोबस्त या राजस्व अहलकारान द्वारा ऐसी त्रुटि प्रार्थी के राजस्व अभिलेख में कारित नहीं की है, जिसे L.R. Act 1956 की धारा 136 के प्रावधानों के तहत दुरुस्त किया जा सके। वैसे भी यदि यथा-वांछित अवस्था में प्रार्थी को अनुतोष प्रदान भी कर दिया जाता है, तो राजस्व नक्शे की नवीनतम हैसियत व स्थिति किस प्रकार की होगी? कोई तजवीज नहीं है। अतः प्रकरण के गुणावगुण पर सम्यक विचारोपरान्त हम यह पाते हैं, कि प्रार्थी को L.R. Act 1956 की धारा 136 के प्रावधानों के तहत वांछित अनुतोष दिया जाना विधि-संगत नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। प्रार्थी चाहे तो वांछित अनुतोष हेतु विधि अनुसार दुरुस्ती का दावा पेश करने हेतु स्वतंत्र है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दि० 13.5.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया। 13/5/19 (चिमनलाल मीणा) R.A.O.	